

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला
(विधि शाखा)

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision) वाद सं० :-134 / 2023-24

रूपेश कुमार सिंह

बनाम

अमित कुमार सिंह

अपीलार्थी 1. श्री रूपेश कुमार सिंह पिता-स्व० नवल किशोर सिंह पता-बड़ाईक मुहल्ला गुमला थाना-गुमला जिला-गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला के दाखिल खारिज वाद सं०-29/2021-22 दिनांक-07.10.2022 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि विवादित भूमि मौजा-गुमला के खाता सं०-01 प्लॉट सं०-853 रकबा :-0.08 एकड़ भूमि से संबंधित है। निम्न अपीलीय न्यायालय के अभिलेख एवं न्यायालय दिवस पंजी में अंकित तिथि का मिलान किया गया, जिसमें दिनांक-28.06.2022 के न्यायालय कार्य दिवस का प्रविष्टि पंजी में पाया गया, परन्तु 28.06.2022 के पश्चात सुनवाई हेतु अगली तिथि 16.08.2022 एवं 13.10.2022 पंजी में निर्धारित थी, परन्तु आदेश पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.06.2022 से 13.10.2022 के बीच दिनांक 05.07.2022, 14.07.2022, 19.07.2022, 26.07.2022, 25.08.2022 तथा 21.09.2022 को आदेश पत्रक के मुताबिक तिथि निर्धारित थी, लेकिन न्यायालय कार्य दिवस पंजी में प्रविष्टि का कोई उल्लेख नहीं है। निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुने बिना ही आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए निदेशित किया जाता है कि उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए विधिवत सुनवाई कर तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद को Remand किया जाता है, साथ ही इस रिवीजन वाद में पारित आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर वाद का निष्पादन करते हुए आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गुमला को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
गुमला


उपायुक्त,
गुमला